

## पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 19.09.2021 को समय करीब 20:30 बजे थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत बबुआपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान नायकडीह की तरफ से आर रही एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्तियों को टार्च की रोशनी में रोकने का इशारा किया गया तो मो0सा0 मोड़कर भागने लगे जिस पर उनका पीछा किया गया तो थोड़ी दूर पर वाहन पर बैठा एक नवयुवक वाहन से कूदकर भागने लगा, पैदल भागने वाले व्यक्ति का दो आरक्षियों द्वारा पीछा किया गया। इस दौरान वाहन चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहा। तत्पश्चात गोली चलने की आवाज पर नायकडीह से करीब 400 मीटर दूर खेत में जाकर देखा गया तो आरक्षीगण के शोर पर आस-पास के लोगों द्वारा पैदल भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम पता अनिल चौहान पुत्र श्यामलाल निवासी सुअराबोझ थाना सरायलखंसी बताया गया तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम कृष्णा चौहान निवासी सिखड़ जनपद गाजीपुर बताया गया। तलाशी के दौरान एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। इस दौरान रि0आ0 रामराज यादव पीएनओ नंबर 202500719 के सिर में काफी चोटें आयी है जिसका इलाज जिला चिकित्सालय मऊ में चल रहा है। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 453 व 454/21 धारा 307,332,353, 323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट एवं 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

## एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद—

थाना रामपुर पुलिस द्वारा दिनांक 19.09.2021 को देखभाल क्षेत्र चंदापार रोड पटराव नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान आ रही मोटरसाईकिल बिना नंबर को रोककर चेक किया गया तो कोई कागजात नहीं दिखा सका तथा गुमराह करते हुये कभी अपनी तो कभी अपने रिश्तेदार की बताया गया। तत्पश्चात वाहन के चेंचिस नंबर से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम शिवचंद पुत्र देवमुनि निवासी बलिया थाना नटवार जनपद रोहतास बिहार के नाम से (बीआर 24 एसी 4237) अंकित होना पाया गया, वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर संपर्क किया गया तो बताया कि उसका वाहन चोरी हो गया है तथा दिनांक 01.07.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। कड़ाई से पूछताछ के दौरान अपना नाम सुभाष नट पुत्र मुन्नर नट निवासी तेतारपुर नटबस्ती थाना नरही जनपद बलिया तथा उक्त मोटरसाईकिल को जनपद रोहतास जिले से चोरी किया था तथा यह भी बताया गया कि उसकी शादी थाना रामपुर क्षेत्रान्तर्गत हुयी है उक्त मो0सा0 को बेचने के लिये आया था। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 96/21 धारा 41/411/420/379 भादवि पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।